राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/ 86007 दिनांक : 14/12/2017

<u>संशोधित आदेश</u>

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 73950 दिनांक 03.11.2017 को जारी आदेश में संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page** पर **New Scholarship Portal** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	**15 दिसम्बर 2017**
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	**31 जनवरी, 2018**
3	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	**15 फरवरी, 2018**
4	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त छात्रवृति आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति जारी करना, आक्षेप करना एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	**28 फरवरी, 2018**
5	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन बिल बनाकर, बजट मद अंकित करवाकर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी में भिजवाकर राशि हस्तान्तरण करने की अंतिम तिथि	**31 मार्च , 2018**

नवीन छात्रवृति पोर्टल 2017-18 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है :-

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

www.rajteachers.com

2. अन्य पिछडा वर्ग (OBC) {**छात्र–छात्रा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का ना हो**} उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ***जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।***

3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल **राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी** ही आवेदन कर सकेंगे

4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (**विभाग द्वारा सूचीबद्ध**) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वंय भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वंय सृजित करें । छात्र यदि ई–मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें ।

7. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वंय की ही दें ।

8. **विद्यार्थी को आय प्रमाण की घोषणा देने वाले व्यक्ति की आधार संख्या दी जानी अनिवार्य होगी**

9. विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही छात्रवृति स्वीकृत की जावेगी। इस संबंध में विद्यार्थी गतवर्ष परीक्षा की उत्तीर्ण की अंकतालिका को ही पोर्टल पर अपलोड करे।

10. एकवर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्रथम सैमेस्टर में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत किए जाने पर एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर की सभी विषयों की उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत किए जाने पर ही छात्रवृति स्वीकृत की जावेगी।

11. SC/ST/SGS (पूर्व में SBC) /EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार **मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा**। जैसे – आय का घोषणा पत्र (**विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द**), मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र,अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, 10 वीं की अंकतालिका, गत अंतिम परीक्षा की उत्तीर्ण की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।

12. **"वर्ष 2017–18 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनकी 50,000/–रू. से अधिक की छात्रवृति राशि स्वीकृत की जानी है, के आय प्रमाण पत्र के उद्‌घोषक (पिता/पति/माता/संरक्षक) को PAN CARD NO. (बीपीएल को छोडकर) पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा"**

13. OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा **जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया**

www.rajteachers.com

गया हो, ही मान्य होगा। बी.पी.एल./अन्तोदय/स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा। वर्ष 2017–18 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमााण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज अपलोड करना होगा। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला यूनिक आई.डी. संख्या अंकित करना होगा।

14. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2017–18 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय बेवसाइड से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता–पिता दोनो की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता–पिता एवं संरक्षक तीनो ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

15. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाऐं जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

16. भामाशाह आई.डी. तथा आधार के नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

17. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:–

    a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।
    b. छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
    c. विद्यार्थी का बैंक खाता बन्द न हो ।

18. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस

www.rajteachers.com

की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

19. अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (NON REFUNDABLE FEES) **के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशी अंकित करें।**

20. **विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।**

21. विद्यार्थी के आवेदन पत्र में आक्षेप होने पर विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति करने हेतु अधिकतम **30 दिवस** का समय प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति की समय सीमा समाप्त होने से 5 दिवस पूर्व SMS एवं E-mail के माध्यम से भी अलर्ट किया जावेगा यदि विद्यार्थी 30 दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त (Permanent Reject) हो जाएगा।

22. *राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है, अर्थात् गृह जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याअवि) को ऑनलाईन फारवर्ड किए जाऐगें। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण जयपुर, सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (जयपुर, सांगानेर,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित* (Forward) किये जायेंगे।

23. व*र्ष 2017–18 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाऐंगे। जिससे कि विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं का भुगतान समय पर संपादित किया जा सके। जयपुर जिले के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण जयपुर, झोटवाडा, सांगानेर एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर शहर कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (जयपुर, सांगानेर, झोटवाडा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर ग्रामीण कार्यालय द्वारा स्वीकृत एवं निस्तारित* किये जायेंगे।

24. *कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछडा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।*

25. *कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।*

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page पर New Scholarship Portal** पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

www.rajteachers.com

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/ 86008-38 दिनांक : 14/12/2017

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/ (माध्यमिक/प्राथमिक) शिक्षा विभाग जयपुर।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
7. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. निदेशक विशेष योग्यजन/संस्कृत शिक्षा शिक्षा संकुल जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
12. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
13. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/(अ.जा./जन.जा. कल्याण), मुख्यावास
15. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
16. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
18. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृहतरी मतस्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर/श्री कर्ण नरेन्द्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर/विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर/आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, जोधपुर/जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा..................
19. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).........
20. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान...............................
21. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त....................
22. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त....................
23. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त...............
24. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............
25. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाऐं................
26. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
27. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
28. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
29. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
30. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

www.rajteachers.com